

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 01.12.2025

अपमिश्रीत अवैध कच्ची शराब के साथ 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 80 लीटर अपमिश्रीत अवैध कच्ची शराब, 400 ग्राम यूरिया व 250 ग्राम नौसादर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ०नि० विजय प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा 80 लीटर अपमिश्रीत अवैध कच्ची शराब, 400 ग्राम यूरिया व 250 ग्राम नौसादर के साथ अभियुक्ता 1. नीलम देवी पत्नी बलराम निषाद निवासी उदासीन मन्दिर के पीछे हांसुपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर व 2. निर्मला देवी पत्नी स्व० विजय निषाद निवासी उदासीन मन्दिर के पीछे हांसुपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 237/2025 धारा 274 BNS , 60 EX ACT पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

1. नीलम देवी पत्नी बलराम निषाद निवासी उदासीन मन्दिर के पीछे हांसुपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. निर्मला देवी पत्नी स्व० विजय निषाद निवासी उदासीन मन्दिर के पीछे हांसुपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 237/25 धारा 274 बीएनएस , 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्ता नीलम देवी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 051/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 177/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर
3. मु०अ०सं० 239/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर
4. मु०अ०सं० 035/24 धारा 272 भादवि , 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर
5. मु०अ०सं० 228/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर
6. मु०अ०सं० 237/25 धारा 274 बीएनएस , 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ०नि० विजय प्रताप सिंह चौकी प्रभारी ट्रान्सपोर्ट नगर थाना राजघाट गोरखपुर
2. उ०नि० ज्ञानेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी अमरुद बाग थाना राजघाट गोरखपुर
3. म०उ०नि० पूनम थाना राजघाट गोरखपुर
4. हे०का० क्युम अली थाना राजघाट गोरखपुर
5. म०का० सुनैना थाना राजघाट गोरखपुर
6. का० शिवम थाना राजघाट गोरखपुर